118

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा

पुनरीक्षण प्र.क. ....

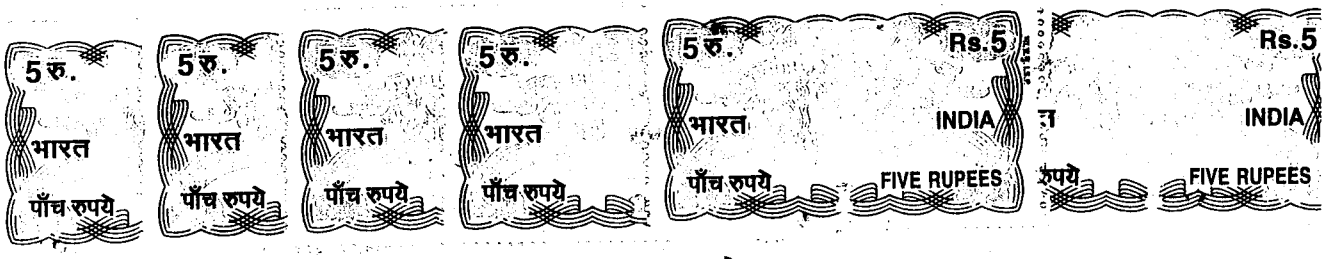

5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

रामकरण शुक्ला, उम्र– 70 वर्ष पिता स्व0 देवकीनन्दन शुक्ला, कौम ब्रा0, पेशा खेती निवासी ग्राम पड़रा, तहसील रायपुर कर्चु0 जिला रीवा (म0प्र0)

.......................*आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता*

(निगरानीकर्ता)

अधि0 श्री श्यामबिहारी त्रिपाठी द्वारा पेश।

RS/22-II/17

बनाम

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0प्र0 (सर्किट कोर्ट) रीवा

1. बीरेन्द्र कुमार
2. राजेन्द्र कुमार

} पिता स्व0 शोभनाथ शुक्ला, कौम ब्रा0, निवासी ग्राम पड़रा तह0 रायपुर कर्चु0 जिला रीवा (म0प्र0)

3. शासन मध्यप्रदेश

...................*अनावेदकगण*

पुनरीक्षण (निगरानी) विरुद्ध कार्यवाही एवं आदेश तहसीलदार तहसील रायपुर कर्चु0, जिला रीवा प्रकरण क. 1/ए–2/15–16 पारित आदेश दिनांक 17.03.17

जिसके साथ आपत्तिकर्ता/अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में अनावेदक क. 2 की प्रारंभिक वैधानिक आपत्ति दिनांक 06.08. 2016 अमान्य किया जाकर खारिच किया गया।

पुनरीक्षण आवेदन अन्तर्गत धारा 50म0प्र0भू.राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

मामले का विषय संक्षिप्त में:–

अधीनस्थ न्यायालय/तहसीलदार तहसील रायपुर कर्चु0 के न्यायालय में आवेदक/माननीय न्यायालय में उक्त अनावेदक क.1 (बीरेन्द्र कुमार) द्वारा आबादी भूमि

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5122–दो/2017 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–5–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा के प्रकरण कमांक 1/अ–2/15–16 में पारित आदेश दिनांक 17–3–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 17–3–2017 को अंतरिम आदेश प्रदान करते हुये यथास्थिति के आदेश प्रदान किया तथा अगली पेशी साक्ष्य हेतु नियत की है। तहसीलदार के समक्ष आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत यथास्थिति आवेदन पर ही तहसीलदार ने यथास्थिति के आदेश दिये हैं। चूंकि दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर यथास्थिति के आदेश दिये हैं। यथास्थिति से किसी पक्ष को कोई नुकशान प्रथमदृष्टया प्रकट नहीं होता है। इसके अतिरिक्त आवेदक को अपना पक्ष रखने का अवसर उपलब्ध है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी आधारहीन होने ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0 एस0 अली) सदस्य	